न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 85/2023

कृष्णकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा

- प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम- **प्रार्थी**

वकील श्री किशनलाल यादव - **अप्रार्थी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 22.2.24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं0 67/36 के खसरा सं0 54 की 6.210है0 में 11/270 हिस्सा व रोही हुणतपुरा के ही खाता सं0 82/86 के ख0सं0 47/5 , 62/2, 62/3 की 4.223है0 में सम्पूर्ण हिस्सा एवं रोही मौजा रासलान के खाता सं0 269/83 के खसरा सं0 190 की 11.584है0, खसरा सं0 35 की 9.953है0 की कुल 21.537है0 में 506/21537 हिस्सा वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा बस्तीराम के नाम थी जो विरासतन अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का भी जन्म से हक व अधिकार है। वाद भूमि अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र ने बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर के रहन करवा दी है तथा अब वादभूमि को अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आकर बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के हस्तान्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ऐसा करने मे कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि में से गांव हुणतपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता सं0 67/36 के खसरा सं0 54 की 6.210है0 जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के नाम 11/270 हिस्सा दर्ज है को अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 24.06.1997 को राजेराम पुत्र गोरखदास स्वामी से जरिए विक्रय पत्र खरीदशुदा है तथा गांव रासलाना की जमाबंदी सम्वत 2075–78 की खाता सं0 269/83 में स्थित अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 506/21537 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 की धोकलराम पुत्र गणेशाराम राजपूत निवासी रासलाना से दिनांक 06.09.1976 से जरिए विक्रय पत्र खरीद शुदा है। इस प्रकार उक्त दोनों खातों की भूमि अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम हुणतपुरा के खाता सं0 82/86 की खसरा सं0 45/5, 62/2, 32/3 की कुल 4.223 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं पैदा कर्ता भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी की सम्पति बाबत पूर्व में पारिवारिक बंटवारानामा हो चुका है। जिसमें बंटवारा कर के प्रार्थी को प्लाट व सम्पति दी जा चुकी है। गांव हुणतपुरा की सम्पति के बदले में प्रार्थी को गांव झाडसर कांधलान की कृषि भूमि जो 4.7039है0 बारानी भूमि थी उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर के उक्त राशि बंटवारा में प्रार्थी को उसका हिस्सा दे दिया था। अप्रार्थी सं0 1 को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

जीवन यापन व घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की जरूरत रहती है जिसके लिए भूमि पर केसीसी बनाकर खेती की बिजाई बुवाई करवाकर उसकी आय से अपना काम चला रहे है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को परेशान करने व उसके हक व अधिकार से वंचित करना चाहता है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा बस्तीराम के नाम थी जो विरासतन अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का भी जन्म से हक व अधिकार है। वाद भूमि अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र ने बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर के रहन करवा दी है तथा अब वादभूमि को अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आकर बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के हस्तान्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ऐसा करने मे कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि वादभूमि में से गांव हुणतपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता सं0 67/36 के खसरा सं0 54 की 6.210है0 जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के नाम 11/270 हिस्सा दर्ज है को अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 24.06.1997 को राजेराम पुत्र गोरखदास स्वामी से जरिए विक्रय पत्र खरीदशुदा है तथा गांव रासलाना की जमाबंदी सम्वत 2075–78 की खाता सं0 269/83 में स्थित अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 506/21537 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 की धोकलराम पुत्र गणेशाराम राजपूत निवासी रासलाना से दिनांक 06.09.1976 से जरिए विक्रय पत्र खरीद शुदा है। इस प्रकार उक्त दोनों खातों की भूमि अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं की पैदाकर्ता भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम हुणतपुरा के खाता सं0 82/86 की खसरा सं0 45/5, 62/2, 32/3 की कुल 4.223 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं पैदा कर्ता भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी की सम्पति बाबत पूर्व में पारिवारिक बंटवारानामा हो चुका है। जिसमें बंटवारा कर के प्रार्थी को प्लाट व सम्पति दी जा चुकी है। गांव हुणतपुरा की सम्पति के बदले में प्रार्थी को गांव झाडसर कांधलान की कृषि भूमि जो 4.7039है0 बारानी भूमि थी उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर के उक्त राशि बंटवारा में प्रार्थी को उसका हिस्सा दे दिया था। अप्रार्थी सं0 1 को जीवन यापन व घरेलू आवश्यकता हेतु रूपयों की जरूरत रहती है जिसके लिए भूमि पर केसीसी बनाकर खेती की बिजाई बुवाई करवाकर उसकी आय से अपना काम चला रहे है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को परेशान करने व उसके हक व अधिकार से वंचित करना चाहता है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला :–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजार्थ के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चुंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने रामचन्द्र के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। विवादित भूमि में अधिकारों की घोषणा बाबत प्रार्थी का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादभूमि के दो खातों की भूमि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा खरीदशूदा है जबकि एक खाते की भूमि अप्रार्थी खरीदशूदा साबित करने में नाकाम रहा है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी का वादपत्र आंशिक साबित होता है।

2 सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) ...

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि प्रार्थी वादभूमि के तीनों खातों की भूमि पैतृक व दादालाई साबित करने में सफल नहीं हुआ है। गांव हुणतपुरा के खाता सं0 67/36 तथा गांव रासलाना के खाता सं0 269/83 में स्थित अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा खरीद की गई है जिसमें अप्रार्थी को दोनों खातों की वादभूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। ग्राम हुणतपुरा के ही खाता सं0 82/86 में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज वादभूमि को अप्रार्थी सं0 1 स्वअर्जित सम्पति साबित करने में सफल नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित होना साबित होता है। ऐसे में अप्रार्थी रामचन्द्र को अपने हक हिस्सा की भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थी रामचन्द्र दोनों के पक्ष में साबित होता है।

3 अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रार्थी/वादी ने उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि ग्राम हुणतपुरा के खाता सं0 82/86 जो कि अप्रार्थी रामचन्द्र खरीदशुदा भूमि साबित नहीं कर पाया है में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 खाता सं0 82/86 में अपने नाम दर्ज कुल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर सकता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। यदि कुल वादभूमि पर व्यादेश दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग संबंधि अधिकारों से वंचित रह सकता है। चूंकि अप्रार्थी रामचन्द्र को गांव हुणतपुरा के खाता सं0 67/36 तथा गांव रासलाना के खाता सं0 269/83 की खरीदशुदा भूमि में रहन, बैय के लिए पाबन्द कर दिया जाता है तो रामचन्द्र को भी अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला आंशिक साबित होने के कारण तथा द्वितीय व तृतीय बिन्दु सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायालय विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही हुणतपुरा के खाता सं0 67/36 के खसरा सं0 54 की 6.210है0 में 11/270 हिस्सा व एवं रोही मौजा रासलान के खाता सं0 269/83 के खसरा सं0 190 की 11.584है0, खसरा सं0 35 की 9.953है0 की कुल 21.537है0 में 506/21537 हिस्सा वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र के नाम दर्ज वादभूमि को अप्रार्थी रामचन्द्र रहन, बैय करने हेतु स्वतन्त्र है तथा रोही हुणतपुरा के खाता सं0 82/86 के ख0सं0 47/5 , 62/2, 62/3 की 4.223है0 में अप्रार्थी रामचन्द्र के नाम दर्ज वादभूमि को अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र को ताफैसला पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि भूमि को रहन, बैय न करे।

निर्णय आज दिनांक 22.2.24 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner